उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग,

संख्या-9/5339/92-2014-89जांच/2014,

लखनऊ: दिनांक: 12 जनवरी, 2015

**कार्यालय-ज्ञाप**

ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-1 बाराबंकी के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज-10 के पैकेज सं0-यू0पी0 13125, यू0पी0 13126, यू0पी0 13131 के लिये अनुबन्ध गठन हेतु ठेकेदारों/फर्मो द्वारा उपलब्ध करायी गयी धरोहर धनराशि का सत्यापन कराने में उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना कर, सत्यापन कार्य में असाधारण विलम्ब कर, शासकीय कार्यो में स्वेच्छाचारिता बरतने आदि अनियमितताओं के लिये श्री अशोक, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-1, बाराबंकी सम्प्रति निलम्बित के विरूद्व उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के नियम-7 के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने तथा प्रकरण की जांच हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- जांच अधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि वे विधिवत् जांच कार्यवाही पूर्ण कर जांच आख्या (दो प्रतियों में) एक माह में शासन को उपलब्ध करायेंगे।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कुमार कमलेश

प्रमुख सचिव।

**संख्या-9/5339(1)/92-2014-तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को शासन द्वारा अनुमोदित आरोप पत्र साक्ष्यों सहित (दो प्रतियों में) संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि जांच अधिकारी के रूप में आरोप-पत्र पर यथास्थान अपने हस्ताक्षर कर अपचारी अधिकारी को तामील कराकर तामीली रसीद शासन को उपलब्ध कराने हेतु।

3- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- सम्बन्धित अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।

6- सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी ।

7- श्री अशोक, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पी0आई0यू0-1, बाराबंकी सम्प्रति निलम्बित द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

( मनिराम सिंह )

अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in